निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1942 (श0)

(सं0 पटना 99) पटना, शुक्रवार, 5 फरवरी 2021

सं0-वि02-51/99-92/वि0

foÙk foHkkx

संकल्प

5 फरवरी 2021

विषय :- बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 के चतुर्थ तिमाही दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-817वि0, दिनांक 23.12.2020 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय तिमाही दिनांक 01.10.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प-एफ संख्या-5(2)-बी.(पी.डी)/2020, दिनांक 06.01.2021 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

3. अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।

4. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधानसभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव(संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 99-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in